गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.08.2019 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.08.2019 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
3.	प्रो0 जी.के. पात्रा	सदस्य
4.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	सदस्य
5.	प्रो0 मनीषा दुबे	सदस्य
6.	प्रो0 बी.एन. तिवारी	सदस्य
7.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
8.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
9.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
10.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
11.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
12.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

01 प्रो0 ए.के. सक्सेना

02 प्रो0 व्ही.डी. रंगारी

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 1908.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.08.2019 के कार्यवृत्तों की निम्नानुसार संशोधनों के साथ सम्पुष्टि की गयी :–

विषय क्रमांक–2 के संबंध में लिये गये निर्णय के द्वितीय पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जाये:–

"स्थायी समिति ने प्रकरण की जटिलता एवं उसमें होने वाले विलम्ब के कारण शोध विद्यार्थियों को हो रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए एवं समिति के संयोजक प्रो0 वी.डी. रंगारी के चिकित्सा अवकाश पर होने के कारण यह अनुशंसा की कि प्रतिवेदन में प्रस्तुत तथ्यों पर समस्त संकायाध्यक्ष यथाशीघ्र विचार कर अपनी अनुशंसा स्थायी समिति के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण का निराकरण शीघ्र किया जा सके।"

"स्थायी समिति के द्वारा विषय क्रमांक–2 पर विचार किये जाने के दौरान अध्यक्ष की अनुमति से प्रो0 एल.पी. पटैरिया सभा कक्ष से बाहर रहे।"

विषय क्र. 02 **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण (Economically Weaker Section Reservation) प्रदान करने के कारण अतिरिक्त शैक्षणिक पदों की स्वीकृति हेतु गठित समिति के प्रस्ताव के संबंध में विद्यापरिषद की स्थायी समिति के सदस्यों से परिसंचरण द्वारा (By circulation) प्राप्त अनुमोदन की सूचना ग्रहन करना।**

स्थायी समिति ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया एवं परिसंचरण के माध्यम से प्राप्त अनुमोदन की पुष्टि की।

विषय क्र. 03 **डॉ0 हरीश कुमार कृत शिकायत पर विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों द्वारा दिये गये अनुशंसा पर विचार।**

स्थायी समिति के द्वारा इस विषय पर विचार किये जाने के दौरान अध्यक्ष की अनुमति से प्रो0 एल.पी. पटैरिया सभा कक्ष से बाहर रहे।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि संकायाध्यक्षों द्वारा कृत अनुशंसा का अनुमोदन किया जाय तथा डॉ0 बी.डी. मिश्रा को शोध निर्देशक बनाए रखते हुए दिनांक 28.02.2014 को जारी अधिसूचना को मान्य करते हुए डॉ0 बी.डी. मिश्रा के निर्देशन में शोधरत् छात्रों के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाहियॉ जारी रखी जाये एवं सम्पन्न की जाये।

विषय क्र. 04 **ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक विकास विभाग में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय परिसर में काली मंदिर के पास स्थित तालाब में मत्स्य पालन हेतु अनुमति प्रदान करने विषयक।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत विनियम का अनुमोदन किया जाय तथा विनियम के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर सम्पादित की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तुत विनियम प्रारूप को विश्वविद्यालय के सभी विभागों के लिए लागू किये जाने योग्य बनाये जाने के लिए प्रारूप प्रस्तुत करने हेतु समिति गठित की जाय। समिति के संयोजक/सदस्य नामित किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदया स्थायी समिति की ओर से अधिकृत रहेंगी।

विषय क्र. 05 **आई.क्यू.ए.सी. प्रकोष्ठ के निदेशक से प्राप्त विश्वविद्यालय में एक नाम और एक आई.डी. प्रचलन किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करना।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

शोधार्थियों के प्रदत्त ई–मेल आई.डी. को block करने के संबंध में स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि शोध छात्रों को विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने के समय से उन्हें आगे तीन वर्षों तक अथवा उनके द्वारा खुद अन्यपर्ण करने, जो पहले हो, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत ई–मेल आई.डी. का प्रयोग करने दिया जाय।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि यदि ऐसे शोध छात्र ई–मेल आई.डी. का उपयोग करने हेतु अतिरिक्त समयावधि की मांग करते है तो उन्हें एक अतिरिक्त वर्ष तक ई–मेल आई.डी. का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना

अ.अ.वि.क्र–01 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा प्रेषित पत्र कमांक 81–1/2019(CU) दिनांक 08.08.2019 के अनुक्रम में रोस्टर के पुनः परीक्षण संबंधी।**

स्थायी समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र कमांक 81–1/2019(CU) दिनांक 08.08.2019 तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के गजट अधिसूचना क्रमांक 2289 दिनांक 12.07.2019 के अनुक्रम में आरक्षण रोस्टर प्रारूपण समिति द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक पदों के आरक्षण रोस्टर का अवलोकन किया तथा चर्चा उपरान्त प्रस्तावित आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन किया।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी रोलिंग विज्ञापन क्रमांक 105/भर्ती/प्रशा/2019 दिनांक 03.06.2019 में आवश्यक संशोधन करते हुए शैक्षणिक पदों को उपरोक्त रोस्टर के अनुसार शुद्धिपत्र विश्वविद्यालय के वेबपटल पर प्रदर्शित किया जाय।

अ.अ.वि.क्र–02 स्थायी समिति ने यह अनुभव किया सी.बी.सी.एस. प्रणाली के लागू होने के कारण एवं ई. डब्ल्यू.एस. आरक्षण लागू होने के कारण विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में अतिरिक्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों/शिक्षकों की आवश्यकता है। अतः विश्वविद्यालय के अतिरिक्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की आवश्यकताओं के आंकलन हेतु एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यथोचित प्रस्ताद प्रेषित करने हेतु प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने समिति गठित की जाय। उक्त समिति के संयोजक एवं सदस्य नामित किये जाने हेतु स्थायी समिति की ओर से माननीय कुलपति महोदया अधिकृत रहेंगी।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**